न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)
(पीठासीन अधिकारी : कृष्णपालसिंह चौहान, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 06/2020

दायर दिनांक–29.08.2019
निर्णय दिनांक–17.03.2020

श्री पार्वती पत्नि रमेशचन्द्र सेवक निवासी साबला तहसील साबला जिला डूंगरपुर

.....प्रार्थी

बनाम

श्रीमति चम्पा पत्नि लवजी मेघवाल वगैराह (2) निवासी साबला तहसील साबला जिला डूंगरपुर

....विपक्षीगण

प्रार्थना–पत्र अर्न्तगत नियम 14(4)
राजस्थान भू–(कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970

–

उपस्थित :–

1. श्री मुकेश भट्ट अभिभाषक वास्ते प्रार्थी
2. श्री शंकरलाल यादव अभिभाषक वास्ते विपक्षीगण

आदेश

इस प्रकरण के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि मौजा साबला के खसरा नंबर 891 मे रकबा एक बीघा भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा जरिये मिसल नंबर 122/10 के द्वारा दिनांक 01.02.2010 को अप्रार्थीगण लवजी पिता हेमा चमार एवं उसकी पत्नि चम्पा को गैर खातेदारी हक पर आवंटन की गई थी। प्रार्थीया ने उक्त आवंटित भूमि प्रार्थीया की खातेदारी भूमि से सटी हुई होना एवं उक्त भूमि पर पूर्वजों से काबिज होकर काश्त करते आ रहने से तथा आज भी कब्जा प्रार्थीया का होना बताते हुए अप्रार्थीगण के नाम से उक्त आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त कराने के साथ ही भूमि प्रार्थीया के नाम से नियमन कराने हेतु यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्व पेश किया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Krishnapal Singh Chouhan
Date: 2021.02.22 11:05:38 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण इस न्यायालय मे पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को वास्ते जवाबदेही जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने उपस्थित होकर जवाब पेश करना बताया है

कि आराजी नंबर 891 पर विपक्षीगण का दीर्घकाल से बाप दादाओं के समय से कब्जा चला आ रहा है तथा उसमे अनाज की पैदावार करता आया है मौजा साबला मे प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत अप्रार्थीगण को उक्त भूमि का आवंटन किया गया है केम्प मे अन्य कई संख्या मे आवंटन हुए है केवल एक प्रार्थीया का आवंटन नही हुआ है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पूर्ण जांच कर सर्व सम्मति से आवंटन किया गया है। प्रार्थीया का आराजी नंबर 891 पर आज दिन तक कभी भी कब्जा नही रहा है। अप्रार्थीगण ही उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। विपक्षीगण को आवंटन नियमानुसार हुआ है। आवंटित भूमि जरिये नामान्तकरण संख्या 2673 दिनांक 02.06.2015 के द्वारा खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके है। आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करते आ रहे है एवं वर्तमान मे भी अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त है उसमे फसल बोई हुई है। प्रार्थीया की ओर से दी गई जानकारी मिथ्या होकर गलत है। उक्त भूमि को हजारो रूपया खर्च कर काश्त योग्य बनाया है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर होने से इसे खारीज किया जावें एवं विपक्षीगण के नाम से आवंटन आदेश को यथावत रखने का आदेश पारित किया जावें।

पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया एवं उभय पक्षों की बहस समायत की गईः—

विद्वान वकील प्रार्थीया ने अपनी ओर से बहस मे बताया है कि अप्रार्थीगण को आवंटित आराजी नंबर 891 की भूमि प्रार्थीया की खातेदारी भूमि से सटी हुई है जिसमे प्रार्थीया के ससुर के जीवनकाल से ही कब्जा चला आ रहा है तथा उक्त आराजी की भूमि के चारों ओर प्रार्थीया ने थूअर की बाढ़ लगा रखी है। आराजी नंबर 891 रकबा एक बीघा भूमि पर प्रार्थीया के पूर्वजों से ही काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। मौजा साबला मे केम्प आयोजित किया गया। जिसकी किसी प्रकार की अधिसूचना जारी नही कराई गई ओर न ही एलोटमेंट किये जाने की सूचना ग्रामवासियों को थी विपक्षीगण ने अपने प्रभाव के कारण छिपे तौर पर प्रार्थीया [illegible]रानी कब्जे काश्तशुदा भूमि अपने नाम से आवंटन करवा दी गई। [illegible]टन के पश्चात से अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त नही है एवं न ही आज तक उक्त भूमि को जोता गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishnapal Singh Chouhan
Date: 2021.02.22 11:05:38 IST
Reason: SelfAttested

है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा मौके का निरीक्षण किये बिना ही अप्रार्थीगण को आराजी नंबर 891 की भूमि का आवंटन कर दिया गया जो कानूनी रूप से गलत है जो काबिले निरस्त है। उक्त भूमि पर प्रर्थीया ने फसल बो रखी है। उक्त भूमि पर विपक्षीगण का कभी भी कब्जा नही रहा है। पटवारी के द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर आवंटन किया गया है अप्रार्थीगण के द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही की गई है। विपक्षीगण बिलकुल भूमिहीन नही है प्रार्थीया से कई गुना अधिक भूमि विपक्षीगण के पास मे है। आवंटन कमेटी गैर कानूनी तरीके से अप्रार्थीगण के नाम से आवंटन कर दिया गया।

अतः अप्रार्थीगण के नाम से दिनांक 01.12.2010 को आवंटन की गयी भूमि का आवंटन आदेश को निरस्त किया जावे एवं नियम 20 के अन्तर्गत प्रार्थीया की कब्जे की भूमि को नियमन करने का आदेश पारित किया जावे। प्रार्थीय की ओर से दस्तावेज के रूप मे अप्रार्थीगण के खाते की भूमि की जमाबन्दी संवत 2075–2078 तक की नकल,आवंटन आदेश की नकल तथा अप्रार्थीगण एवं अन्य खातेदारों के खाते की जमाबन्दी सवंत 2075–2078 तक की नकले पेश की है।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने अपनी ओर से बहस मे बताया है कि आराजी नंबर 891 पर विपक्षीगण का दीघ्रकाल से बाप दादाओं के समय से कब्जा चला आ रहा है तथा उसमे अनाज की पैदावार करता आया है मौजा साबला मे प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत अप्रार्थीगण को उक्त भूमि का आवंटन किया गया है केम्प मे अन्य कई संख्या मे आवंटन हुए है केवल एक प्रार्थीया का आवंटन नही हुआ है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पूर्ण जांच कर सर्व सम्मति से आवंटन किया गया है। प्रार्थीया का आराजी नंबर 891 पर आज दिन तक कभी भी कब्जा नही रहा है। अप्रार्थीगण ही उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। विपक्षीगण को आवंटन नियमानुसार हुआ है। आवंटित भूमि जरिये नामान्तकरण संख्या 2673 दिनांक 02.06.2015 के द्वारा खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके है। आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करते आ रहे है एवं वर्तमान मे भी अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त व फसल बोई हुई है। प्रार्थीया की ओर से दी गई जानकारी मिथ्या होकर गलत है। उक्त भूमि को हजारो रूपया खर्च कर योग्य बनाया है। अतः प्रार्थीया का

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishnapal Singh Chouhan
Date: 2021.02.22 11:05:38 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर होने से इसे खारीज किया जावें एवं विपक्षीगण के नाम से आवंटन आदेश को यथावत रखने का आदेश पारित किया जावें। अप्रार्थीगण की ओर से दस्तावेज के रूप में आवंटन के पश्चात् आवंटित भूमि का दायर किया गया नामान्तरकरण संख्या एवं आवंटित भूमि के खातेदरी अधिकार दिये गये उसका नामान्तकरण संख्या 2673 दिनांक 02.06.2015 की नकले पेश की गयी है।

पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर एवं उभय पक्षो की ओर से बहस में दी गई दलीलो पर गोर से मनन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा केम्प साबला में मौजा साबला की आराजी नम्बर 891 में रकबा 01 बीघा भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1,2 को गैर खातेदारी हक पर जरिये मिसल नम्बर 122/2010 के द्वारा दिनांक 01.02.2010 को आवंटन की गयी थी। उक्त आवंटित भूमि पर प्रार्थीया ने अपने पूर्वजो के समय से कब्जा काश्त होना एवं उसके खातेदारी की भूमि से सटी हुई होना बताते हुए तथा उक्त आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त नही होना बताते हए आवंटन आदेश को निरस्त कराने हेतु यह प्रार्थना पत्र /प्रकरण पेश किया है। लेकिन प्रार्थीया की ओर से अपने प्रार्थना पत्र की पुष्टि में एवं बहस मे दी गयी दलीलो की पुष्टि में ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश नही किया गया है। जिसके आधार पर अप्रार्थीगण को उक्त आवंटित खसरा नम्बर 891 रकबा 01 बीघा भूमि पर प्रार्थीया का कब्जा काश्त प्रमाणित होता हो। प्रार्थीया की ओर से बिना किसी आधार के यह प्रार्थना पत्र पेश किया है यह कैसे माना जा सकता है कि अप्रार्थीगण को उक्त आवंटित भूमि पर प्रार्थीया का पुराना कब्जा काश्त है। प्रार्थीया की ओर से जो दस्तावेज पेश किये गये है वह तो अप्रार्थीगण के खाते की भूमि के पेश किये है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना बिना किसी आधार पर पेश करने से अस्वीकार करते हुए खारिज किया जाता है एवं आवंटन सलाहकार समिति द्वारा जरिये मिसल नम्बर 122/2010 द्वारा दिनांक 01.02.2010 को मौजा साबला के आराजी नम्बर 891 रकबा 01 बीघा भूमि अप्रार्थी संख्या 1,2

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishnapal Singh Chouhan
Date: 2021.02.22 11:05:38 IST
Reason: SelfAttested

को आवंटन की गयी भूमि के आवंटन आदेश को यथावत बहाल रखने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 17.03.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल मे शुमार होकर नंबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(कृष्णपाल सिंह चौहान)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Krishnapal Singh Chouhan
Date: 2021.02.22 11:05:38 IST
Reason: SelfAttested